पुनरीक्षण आपराधिक

पी. सी. पंडित और बी. एस. ढिल्लों से पहले, जे.जे.

हरियाणा राज्य,----------याचिकाकर्ता।

बनाम

सत्य नारायण—------प्रतिवादी।

1970 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 790-ए।
13 मार्च 1973.

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम V)—धारा 514—किसी अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए पुलिस द्वारा लिया गया जमानत बांड - क्या जब्त किया जा सकता है।

माना गया कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 514 की उपधारा (1) को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग एक बांड से संबंधित है जो संहिता के तहत न्यायालय द्वारा लिया जाता है और दूसरा भाग न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए लिए गए बांड से संबंधित है। उप-धारा की भाषा यह स्पष्ट करती है कि यह केवल पहले भाग द्वारा कवर किए गए बांड के मामले में है जिसे न्यायालय द्वारा लिया जाता है और दूसरे भाग में, यह नहीं कहा जाता है कि बांड को न्यायालय द्वारा लिया जाना है। न्यायालय का तात्पर्य यह है कि दूसरे भाग में पुलिस अधिकारियों द्वारा लिए गए बांड का भी उल्लेख है। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि दूसरा भाग उन मामलों को कवर करेगा जहां पुलिस अधिकारी द्वारा अदालत के समक्ष पेश होने के लिए संहिता के प्रावधानों के तहत बांड लिया गया है। उपधारा के दूसरे भाग का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि यह उन बांडों से भी संबंधित है जो केवल न्यायालय द्वारा लिए गए हैं, न कि न्यायालय द्वारा लिए गए बांडों से। पुलिस अधिकारी। यदि कोई बांड जो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी आरोपी को अदालत के समक्ष पेश करने के लिए लिया जाता है और जमानतदार उसे पेश करने में असमर्थ है, तो संहिता की धारा 514 के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसका परिणाम यह होगा कि यह व्यावहारिक रूप से निरर्थक होगा। पुलिस अधिकारियों को मुचलका भरना होगा जिसके परिणामस्वरूप स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए संहिता की धारा 514(1) का दूसरा भाग उन मामलों पर लागू होता है जहां पुलिस अधिकारियों द्वारा अदालत के समक्ष पेश होने के लिए एक बांड लिया जाता है और आरोपी के ऐसी अदालत के सामने पेश होने में विफलता पर इसे जब्त किया जा सकता है।

(पैरा 4 एवं 6)

मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए माननीय श्री न्यायमूर्ति भोपिंदर सिंह ढिल्लों ने 18 मई, 1972 के आदेश के तहत मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रेम चंद पंडित और माननीय श्री न्यायमूर्ति भोपिंदर सिंह ढिल्लों की खंडपीठ ने आखिरकार 13 मार्च, 1973 को

मामले का फैसला किया। धारा 439 सीआर के तहत याचिका। श्री बी.एल. सिंगल, सत्र न्यायाधीश, हिसार के दिनांक 8 मई, 1970 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए पी.सी., जिसमें श्री राम नाथ बत्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी भिवानी, के आदेश को उलट दिया गया था।. दिनांक 28 फरवरी 1970, अपील स्वीकार करते हुए और विद्वान मजिस्ट्रेट के आक्षेपित आदेश को रद्द करते हुए और निर्देश दिया कि अपीलकर्ता से जमानत बांड से कोई पैसा नहीं वसूला जाएगा और यदि वसूल किया गया है, तो उसे वापस कर दिया जाएगा।

कार्यवाही:—धारा 514 सीआर. पी.सी. के अंतर्गत.

याचिकाकर्ताओं की ओर से जे.एस. मलिक, अधिवक्ता, महाधिवक्ता, हरियाणा।

प्रतिवादी की ओर से वी. एम. जैन, वकील।

निर्णय

पंडित, जे-एक जगदीश लाल, गांव बिशनपुरा। थाना पिलानी (राजस्थान) पुलिस धारा 304-ए के मुकदमे में शामिल थी। भारतीय दंड संहिता। 26 जुलाई को. 1968, सत्य नारायण ने पुलिस के सामने उनके लिए ज़मानत पेश की और उन्हें पुलिस या सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करने का वचन दिया। यदि और जब आवश्यक हो, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहा। उन्होंने हरियाणा राज्य को 2000 रुपये का भुगतान करने का वचन दिया। जगदीश लाल के खिलाफ मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी द्वारा की गई थी। भिवानी. और वह अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप विद्वान मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परिणामस्वरूप, सत्य नारायण को नोटिस दिया गया। जमानतदार, जिसने अभियुक्त को अदालत में पेश करने के लिए कई बार स्थगन लिया, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रहा। परिणामस्वरूप, विद्वान मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 514 के तहत एक आदेश पारित किया, उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत बांड को जब्त कर लिया और उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया।

(2) उक्त ज़ब्ती के परिणामस्वरूप, सत्य नारायण ने उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील दायर की और इसे विद्वान सत्र न्यायाधीश, हिसार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सुरजीत सिंह बनाम राज्य (1) में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर। जहां शमशेर बहादुर, जे. द्वारा यह माना गया था कि जहां एक पुलिस अधिकारी के समक्ष जमानत के लिए एक वचन दिया जाता है कि आरोपी को अदालत के सामने पेश किया जाएगा, यह एक विशेष अधिकारी से किया गया वादा था, न कि किसी अदालत और ऐसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 514 के प्रावधानों के तहत सुरक्षा बांड को जब्त नहीं किया जा सकता है।

(3) उस निर्णय के विरुद्ध, हरियाणा राज्य ने इस न्यायालय में वर्तमान पुनरीक्षण याचिका दायर की। प्रथम दृष्टया, यह मेरे विद्वान भाई के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जिनका विचार था कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 514 के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों के बीच संघर्ष था, और चूंकि एक कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल था, जो कई मामलों में उठना ही था, उन्होंने इस मामले को एक बड़ी बेंच को भेजना उचित समझा। इस तरह मामला हमारे सामने रखा गया है.'

(4) निर्णय के लिए पहला प्रश्न यह है कि क्या जमानत बांड जो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा लिया गया है, न कि न्यायालय द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 514 के तहत जब्त किया जा सकता है। उक्त संहिता की धारा 514 का प्रासंगिक भाग पढ़ता है:

“514. (1) जब भी यह उस न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित हो जाता है जिसके द्वारा इस संहिता के तहत बांड लिया गया है, या किसी प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय की संतुष्टि के लिए,

या, जब बांड किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के लिए हो, तो ऐसे न्यायालय की संतुष्टि के लिए,

कि ऐसा बांड जब्त कर लिया गया है, न्यायालय ऐसे सबूत के आधारों को दर्ज करेगा, और ऐसे बांड से बंधे किसी भी व्यक्ति को जुर्माना देने के लिए कह सकता है, या कारण बताने के लिए कह सकता है कि इसका भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

इस प्रावधान को पढ़ने से पता चलेगा कि यह उपधारा दो भागों में विभाजित है। पहला भाग एक बांड से संबंधित है जो दंड प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय द्वारा लिया जाता है, और दूसरा भाग न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए एक बांड की बात करता है। पहले भाग में शामिल बांडों के संबंध में कार्यवाही या तो उस न्यायालय द्वारा की जा सकती है जिसके द्वारा उक्त बांड लिया गया था या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय या 'प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा की जा सकती है। जब भी यह तीन न्यायालयों में से किसी एक की संतुष्टि के लिए साबित हो जाता है कि ऐसा बांड, अर्थात्, वह बांड जिसे पहले भाग में संदर्भित किया गया है, जब्त कर लिया गया है, तो उक्त न्यायालय ऐसे सबूत के आधार को दर्ज करेगा और किसी को भी बुला सकता है। ऐसे बांड से बंधे व्यक्ति को जुर्माना अदा करना होगा या कारण बताना होगा कि इसका भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा भाग एक बांड से संबंधित है जो केवल अदालत के समक्ष पेश होने के लिए लिया जाता है। उस मामले में, जब उस न्यायालय की संतुष्टि के लिए यह साबित हो जाता है जिसके सामने अभियुक्त को उपस्थित होना था कि ऐसा बांड जब्त कर लिया गया था, तो उक्त न्यायालय ऐसे सबूत के आधारों को दर्ज करेगा, और ऐसे बांड से बंधे किसी

भी व्यक्ति को बुला सकता है। उसका जुर्माना अदा करें या कारण बताएं कि इसका भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इस उपधारा में प्रयुक्त भाषा से, यह स्पष्ट होगा कि पहले भाग में, बांड न्यायालय द्वारा लिया जाएगा, जबकि दूसरे भाग में, यह

नहीं कहा गया है कि बांड को न्यायालय द्वारा लिया जाना है, जिसका अर्थ है कि दूसरे भाग में पुलिस अधिकारियों द्वारा लिए गए बांड का भी उल्लेख है।

दूसरे भाग के तहत, यह आवश्यक है कि अदालत के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति के लिए बांड लिया जाए। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि पहले भाग में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि बांड को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत होना चाहिए। लेकिन दूसरे भाग में, "इस संहिता के तहत" शब्द को "बॉन्ड" शब्द के बाद निगमित नहीं किया गया है और शायद तब यह तर्क दिया जा सकता है कि दूसरे भाग के तहत, यह आवश्यक नहीं था कि बांड इस संहिता के तहत होना चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद, सईद (2) मामले में शांत कर दिया है, जहां यह निर्धारित किया गया है कि धारा 514(1) में आने वाले शब्द "ऐसे बांड" शब्दों का संदर्भ देते हैं। इस संहिता के तहत बांड" उप-धारा के पहले पैराग्राफ में है और इसमें केवल आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निष्पादित बांड शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, यदि बांड राज्य या केंद्र सरकार के पक्ष में नहीं था, तो यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक नहीं था, जिस पर उसकी धारा 514 लागू होगी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, पहले भाग में यह कहा गया है कि बांड न्यायालय द्वारा लिया गया है, जबकि दूसरे भाग में ऐसा नहीं कहा गया है, और जो कुछ उल्लेख किया गया है वह यह है कि बांड को अदालत के सामने पेश होना होगा। एक अदालत। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि दूसरा भाग उन मामलों को कवर करेगा जहां पुलिस अधिकारी द्वारा अदालत के समक्ष पेश होने के लिए संहिता के प्रावधानों के तहत बांड लिया गया है। यह विवाद से परे है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में प्रावधान हैं, उदाहरण के लिए, धारा 170, 496 और 499, जो न्यायालय के समक्ष उपस्थिति के लिए बांड से संबंधित हैं। यह भी विवाद से परे है कि संहिता के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा भी बांड लिया जाता है। यदि यह माना जाए कि धारा 514(1) का दूसरा भाग भी उन बांडों से संबंधित है जो केवल न्यायालय द्वारा लिए जाते हैं, न कि पुलिस अधिकारियों द्वारा, तो परिणाम यह होगा कि यदि कोई पुलिस अधिकारी बांड लेता है किसी आपराधिक मामले में शामिल किसी व्यक्ति की अदालत के समक्ष उपस्थिति और जमानतदार उसे उक्त अदालत के समक्ष पेश करने में असमर्थ है, तो ऐसा बांड धारा 514 के तहत जब्त नहीं किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता। निस्संदेह, संहिता में कोई अन्य धारा नहीं है जो बांड की जब्ती से संबंधित हो।

इसका परिणाम यह होगा कि पुलिस अधिकारियों के लिए बांड लेना या आपराधिक मामलों में शामिल व्यक्तियों की अदालत में उपस्थिति व्यावहारिक रूप से अर्थहीन हो जाएगी और जाहिर तौर पर इसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसलिए, मेरा विचार है कि धारा 514(1) का दूसरा भाग उन मामलों पर भी लागू होगा जहां अदालत के समक्ष पेश होने के लिए संहिता के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा बांड लिए जाते हैं।

(5) सुरजीत सिंह के मामले में शमशेर बहादुर, जे. (1) (सुप्रा) ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रामेश्वर भाटिया बनाम असम राज्य (3) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया। मैंने सर्वोच्च न्यायालय के प्राधिकार के तथ्यों का अध्ययन किया है और मेरी राय में, विद्वान न्यायाधीशों ने यह निर्धारित नहीं किया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी अदालत के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति के लिए बांड लेता है तो धारा 514 के तहत ऐसे बांड को जब्त नहीं किया जा सकता है। (1) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, यदि जमानतदार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ है। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले का निपटारा किया था जहां एक दुकानदार के पास अनुमत मात्रा से अधिक खाद्यान्न था। एक खरीद निरीक्षक ने दुकान पर छापा मारा और दुकानदार को उक्त खाद्यान्न को एक सुरक्षा बांड के तहत रखने की अनुमति दी, जिसके द्वारा एक वचन दिया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर जब्त खाद्यान्न न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बांड प्रोक्योरमेंट इंस्पेक्टर के पक्ष में निष्पादित किया गया था। बाद में जमानतदार न्यायालय के समक्ष खाद्यान्न प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप जमानतदार को उचित लाइसेंस लेने के बाद उतनी ही मात्रा में खाद्यान्न खरीदने और उसे खरीद विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया। उस आदेश के विरुद्ध, जिला मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत सजा को बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय का संदर्भ दिया। हाई कोर्ट ने रेफरेंस स्वीकार कर लिया. इस सुरक्षा बांड के संबंध में, उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 514 के तहत जब्ती के लिए कार्रवाई करने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। जमानतदार ने अपनी दोषसिद्धि और रिमांड के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने, उन परिस्थितियों में, माना कि धारा 514, दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं थे, क्योंकि बांड प्रोक्योरमेंट इंस्पेक्टर को दिया गया था और कहा गया था:

“उस उच्च न्यायालय ने यह सोचकर गलती की कि धारा 514, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, लागू होती है। कार्रवाई केवल तभी की जा सकती है जब अदालत द्वारा संहिता के प्रावधानों जैसे उपस्थिति के लिए धारा 91, कई सुरक्षा धाराओं या जमानत से संबंधित धाराओं के तहत बांड लिया जाता है...वह भाषा बिल्कुल स्पष्ट है; बाद के हिस्सों में

ज़ब्त करने और जुर्माना लगाने की शक्ति प्रदान की गई; धारा केवल तभी उत्पन्न होती है जब प्रारंभिक शर्तें पूरी होती हैं।

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले से निपट रहा था जहां कुछ संपत्ति के उत्पादन के लिए बांड लिया गया था और इसे एक खरीद अधिकारी के पक्ष में निष्पादित किया गया था, और तब यह माना गया था कि धारा 514 संहिता के प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया, लागू नहीं हुई.

(6) मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसे एक बेंच का समर्थन मिलता है; शैलेश चंद्र चक्रवर्ती बनाम राज्य, (4) में कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय, जहां यह मदद की गई थी कि अदालत के समक्ष एक अभियुक्त की उपस्थिति के संबंध में, यह धारा 514, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पर्याप्त था, कि बांड पुलिस द्वारा लिया गया था और यह आवश्यक नहीं था कि इसे न्यायालय द्वारा ही लिया जाए। इस अधिकार में, रामेश्वर भरतिया के मामले (3) (सुप्रा) का संदर्भ दिया गया और प्रतिष्ठित किया गया। छगनलाल किकाभाई बनाम गुजरात राज्य (5) में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया था।

1, इसलिए, मानता है कि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति के लिए पुलिस द्वारा लिया गया जमानत बांड भी धारा 514, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जब्त किया जा सकता है। सुरजीत सिंह के मामले (1) में शमशेर बहादुर* जे. ने, अगर मैं सम्मान के साथ ऐसा कह सकता हूं, आर, अमेश्वर भरतिया के मामले (3) में निर्णय की सही व्याख्या नहीं की थी।

(7) प्रतिवादी के विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि तत्काल मामले में उनके मुवक्किल द्वारा दिया गया बांड जब्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अस्पष्ट शब्द थे और इसमें अभियुक्त की पेशी के लिए समय और स्थान का उल्लेख नहीं था। बांड, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, पुलिस को दिया गया था और उसमें कहा गया था, - "मैं उपरोक्त जगदीश लाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत आरोप का जवाब देने के लिए नियत तिथि और समय पर उपस्थित होऊंगा।" पुलिस या सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा आवश्यक होना। डिफ़ॉल्ट के मामले में, मैं हरियाणा राज्य को जुर्माने के रूप में 2,000 रुपये का भुगतान करूंगा।

इस प्रकार यह देखा जाएगा कि इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कब, किस समय और कहाँ जगदीश लाई को पेश करने के लिए ज़मानत की आवश्यकता थी। यह निर्विवाद है कि जुर्माना लगाने और बांड जब्त करने के प्रावधान दंडात्मक प्रकृति के हैं और यह आवश्यक है कि उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इस संबंध में बिहार राज्य बनाम एम. होमी और अन्य (6) के रूप में रिपोर्ट किए गए सुप्रीम कोर्ट के मामले का संदर्भ लिया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 499(1) कहती है, -

"किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने या अपने स्वयं के बांड पर रिहा करने से पहले, पुलिस अधिकारी या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, को लगता है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पर्याप्त राशि का एक बांड निष्पादित किया जाएगा, और, जब वह रिहा हो जाता है ! जमानत पर, एक या एक से अधिक पर्याप्त जमानतदारों द्वारा शर्त लगाई गई कि ऐसा व्यक्ति बांड में उल्लिखित समय और स्थान पर उपस्थित होगा, और जब तक मामला हो, पुलिस-अधिकारी या न्यायालय द्वारा निर्देश न दिया जाए, तब तक वह उपस्थित रहना जारी रखेगा।

इस उप-धारा के लिए आवश्यक है कि अभियुक्त को जिस समय और स्थान पर उपस्थित होना है उसका उल्लेख बांड में किया जाना चाहिए। चानन शाह बनाम राज्य (7) में यह कहा गया है कि यदि इसका उल्लंघन होता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 499(1) में उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, बांड के आधार पर कोई भी दायित्व जमानतदार पर नहीं डाला जा सकता है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, इस मामले में जमानत बांड में न तो समय और न ही उस स्थान का उल्लेख किया गया था जिस पर आरोपी को अदालत के सामने पेश होना था। ऐसा होने पर, कोई दायित्व नहीं हो सकता
इस बांड के आधार पर जमानत पर बांधा गया।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में जमानत बांड धारा 170, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दिया गया था, जिसका प्रासंगिक भाग पढ़ता है: -

“170. (1) यदि, इस अध्याय के तहत जांच करने पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त के अनुसार पर्याप्त सबूत या उचित आधार है, तो ऐसा अधिकारी हिरासत में लिए गए आरोपी को संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। पुलिस रिपोर्ट पर अपराध और आरोपी पर मुकदमा चलाना या उसे मुकदमे के लिए सौंपना या, यदि अपराध जमानती है और

अभियुक्त सुरक्षा देने में सक्षम है, जब तक कि अन्यथा निर्देश न दिया जाए, वह ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए दिन-ब-दिन निर्धारित दिन पर उससे सुरक्षा लेगा।"

हालाँकि, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि बांड इस धारा के प्रावधानों के तहत दिया गया था। यदि इस बात पर संदेह है कि बांड धारा 499 या धारा 170, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिया गया है, तो संदेह का लाभ उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जिसका बांड जब्त किया जा रहा है। इसलिए, मेरा मानना है कि बांड के शब्दों के आधार पर, अदालत के समक्ष जगदीश लाई की गैर-उपस्थिति के लिए जमानतदार पर कोई दायित्व नहीं डाला जा सकता है।

(9) इसका परिणाम यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ता अपने पक्ष में यह निष्कर्ष निकालने में सफल हो जाता है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अदालत के समक्ष आरोपी की उपस्थिति के लिए लिया गया जमानत बांड भी धारा 514, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जब्त किया जा सकता है, लेकिन मौजूदा मामले में, ज़मानतदार को दंडित नहीं किया जा सकता है और उसमें इस्तेमाल की गई भाषा के कारण उसका जमानत-बंधक जब्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए, विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया है, लेकिन एक अलग आधार पर। तदनुसार, पुनरीक्षण याचिका का निपटारा ऊपर बताए अनुसार किया जाता है।

ढिल्लों, जे.-मैं सहमत हूं।

बी.एस.जी.

अवीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्णवादी के सीमित उपयोग के लि एहैताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सकें और किसी अन्य उद्देश्य के लि ए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक

उद्देश्यों के लिए निर्णयर्ण का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणित होगा और निष्पादन और कार्यावअन्य के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

वसुंधरा राव
प्रशिक्षुन्यायिक अधिकारी,
हरियाणा